लोक सुनवाई का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 74 के वर्तमान 2 लेन का पेव्ड शोल्डर विन्यास सहित 4 लेन में चौडीकरण उन्नयन स्थापन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊधमसिंह नगर में पड़ने वाले मार्गाश की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

लोक सुनवाई स्थल :– कार्यालय उपजिलाधिकारी कार्यालय परिसर काशीपुर, जिला–उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)
लोक सुनवाई की तिथि व समय :– दि. 19.02.13 (पूर्वाहन 11.00 बजे)।

1 सर्वप्रथम डा0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उधमसिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि यह सुनवाई भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 16 सितम्बर, 2006 एवं संशोधित 2009 के अनुसार जन आपत्तिया/सुझाव हेतु कराई जाती है एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –74 के चौड़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उधमसिंह नगर में पड़ने वाले मार्गाश के जसपुर–काशीपुर के मध्य चार लेन चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई आरम्भ करने का अनुरोध किया।

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जन समूह से अपेक्षा की, कि वह परियोजना के सम्बन्ध में अपने सुझाव / आपत्तिया बिना झिझक लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। उन्होने परियोजना के प्रस्तावकों को परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी उपस्थित लोगों को देने को कहा।

3. परियोजना प्रस्तावक श्री एम.के. जैन, प्रोजेक्ट मैनेजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में परियोजना का विस्तृत विवरण सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया। उन्होने कहा कि वर्तमान में सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के जसपुर–काशीपुर – सुल्तानपुर पट्टी का लगभग 170 किमी. क्षेत्र है, इसमें जसपुर के पास लगभग 8 किमी. बाय पास बनेगा। इसी प्रकार कुण्डा चौराहा से दायी तरफ सुल्तानपुर पट्टी की दायी तरफ भी लगभग 20 किमी. बाईपास पी.पी.पी.मोड़ में बनाया जायेगा, जिससे वर्तमान मार्ग के यातायात भार में कमी आ जायेगी एवं जाम आदि की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान परियोजना मार्ग में पड़ने वाली ग्राम वासियों द्वारा निम्नानुसार अपने सुझाव/आपत्तिया प्रस्तुत की गई।

4. श्री कलम सिंह शाह पत्रकार, काशीपुर ने सुझाव दिया कि बाईपास बनने से वर्तमान रोड की स्थिति क्या होगी एव इसका रखरखाव कौन करेगा। परियोजना प्रस्तावक श्री जैन द्वारा बताया गया कि इस रोड पर भी यातायात चालू रहेगा एवं इसका रख–रखाव राज्य अथवा केन्द्र सरकार करती रहेगी। वर्तमान परियोजना के बाई–पास से जसपुर काशीपुर में यातायात लोड कम हो जायेगा एवं इससे जाम आदि लगने के कारण ध्वनि व वायु प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार होगा। यद्यपि इस परियोजना के निर्माण से रोड की लम्बाई में कोई खास अन्तर नहीं आयेगा किन्तु यात्रियों को यात्रा में कम समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सडक के किनारे पेड़ लगाये जायेंगे, जिससे पर्यावरणीय सुधार भी होगा। सम्बन्धित क्षेत्र के डी.एफ.ओ. से स्थान चिन्हित कर कर अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. श्री नवीन कुमार, काशीपुर द्वारा जानना चाहा कि काशीपुर रेलवे कासिंग पर जाम से छुटकारा हेतु एन.एच. का कोई फ्लाईओवर ब्रिज बनवाने का प्रस्ताव है अथवा नही, इस पर श्री जैन द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में डी.पी.आर तैयार कर भारत सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। एन.एच. का इस परियोजना के अतिरिक्त उक्त स्थल पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। जिससे वहा पर जाम न लगे।

डा0 जोशी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थिति जन समूह से कहा गया कि यदि कोई इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति/ सुझाव देना चाहे तो दे सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

सुनवाई के अन्त में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित जन समूह का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि यह सुनवाई पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध मे है एवं परियोजना प्रस्तावक एन.एच. द्वारा इस हेतु बनायी गयी, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण क्षति में सुधार हेतु कार्य किया जायेगा। बाई–पास बनने से जाम व यातायात लोड में भी सुधार होगा। अन्त में उनके द्वारा उपस्थित जन–समूह का सुनवाई में भाग लेन हेतु आभार व्यक्त करते हुए सभा विसर्जन की गयी।

(एच0सी0काण्डपाल)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
उधमसिंहनगर

(डा0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
काशीपुर